

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून  
25 सुनाष रोड, देहरादून-248001  
फ़ॉक्स-0135-2650809  
फ़ॉक्स-0135-2653010  
ईमेल- [moeef.ddn@moef.gov.in](mailto:moeef.ddn@moef.gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT,  
FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,  
DEHRADUN  
25 SUBASII ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moeef.ddn@moef.gov.in](mailto:moeef.ddn@moef.gov.in)

पत्र सं 8बी/यूसी०पी०/०६/८६/२०२१/एफ.सी. (1141)

दिनांक: ०६/१२/२०२१

संलग्न में,

अपर मुख्य सचिव (वन),  
उत्तराखण्ड शासन,  
सुनाष रोड, देहरादून।

**विषय:-** जनपद-चमोली में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अंतर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु ९.०५३ हेठो वन FP/UK/Road/143929/2021)

**तन्दर्भ:-** सचिव प्रभारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-1090/X-3-21/1(85)/2021 दिनांक 01.09.2021  
महोदय,

उपरोक्त विषय पर सचिव प्रभारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयाकृत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियाँ/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 30, नवम्बर 2021 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-चमोली में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अंतर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु ९.०५३ हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 18.106 हेठो सिविल सौंप्यम भूमि ग्राम जोखना, चमोली मोख एवं धनसारी खसरा नं 807, 300, 319, 320, 322, 323, 2155, 1842, 308 में प्रतिपूरक यनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि रखीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात्

Atchmeli  
E.P.F.PCU, PWD  
U.P.R.I.R.A.R.E  
D.Dun

AAE.  
PD PWD KPY

1/3 contd..

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विवित स्थीकृति से पूर्व आरक्षित/संक्रित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मङ्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रसुत किया जायेगा की उपत शी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत युक्तारोपण कार्य नहीं किया गया है।

घ) The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.

इ.) राज्य सरकार एफ.सी.ए., 1980 की गाइडलाइन में उल्लेखित मानकों के तहत वर्तमान दरों पर सी.ए. स्कॉम इस कार्यालय में प्रेषित करेगी। साथ ही उपलब्ध मार्ग के विभिन्न हिस्सों में पूर्ण सं निर्मित मार्ग की चौड़ाई के सामन्य ने विस्तृत जानकारी राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

4. प्रतिपूरक बनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक बनीकरण योजना के अनुसार

प्रतिलिपि नमूदरी दर्यों पर प्रतिपूरक बनीकरण की लागत एवं सरक्षण, सीमांकन और लम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक बनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 2027/1995 में LA नंबर 556

दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रलय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के अनुसार एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी विशानिदर्शानुसार रोज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 9.053 हें वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रस्तुत करेगी।

(छ) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के चुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अतिम रूप देने के बाद देव हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शापथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेढ़ों की कटाई को चूनतम रखेगा एवं प्रमाणित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1212 वृक्षों एवं 146 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेढ़ राज्य वन विभाग के सख्त फलेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेढ़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in/>) के माध्यम से शोतूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में रखनांतरित/ जमा किए जाएंगे।

8. एफआरए, 2006 को पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से जुलिएचित किया जाएगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

10. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निशित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लाए जाएंगे।

11. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्थिरान्तरीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

12. कठ्ठ सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट लान नहीं बदला जाएगा।

13. वन भूमि पर कोई भी शमिक शिक्किर स्थापित नहीं किया जाएगा।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भजदूरी को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी छोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

15. सहायित यन मङ्गल अधिकारी जे निर्देशानुसार, प्रवायतित यन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर आर ही सी निलक्ष्म द्वारा सीमाकान किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward boundary जाकेत है।
16. परियोजना कार्य के नियादन के लिए निर्माण समझी के परिषद के लिए यन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
17. यन भूमि जो उपचान विभाजन के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. कांड जरबार की दृष्टिकृति के द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रतायित यन गृहि किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन यन (संस्करण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं प्रयोग, यन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. प्रयोगरण, यन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यन एवं वन्यजीवों के संरक्षण य विकास के हित में समर्प-जन्म पर निर्धारित रूपों ताप होगी।
21. प्रयोक्ता अनिकरण दूषकिंदिष्ट स्थानों पर इस प्रकार मल्वे का निर्माण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तप्य लीना से नीचे न निर्मा। राज्य के बन विभाग के प्रयोक्ता निर्माण में तथा प्रयोक्ता की लागत पर, प्रयोक्ता अनिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लानकर निर्माण करने को लिख एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मल्वे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाइ जाएंगी। निर्माण स्थलों को राज्य के बन विभाग को सौंपने से पूछ, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार चानपवद तरीके से पूरा किया जाएगा। मल्वा निर्माण के बाहे ने दूजों की कटाई की अनुमति नहीं होती एवं राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट करेगी।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित आधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इन प्रस्ताव पर लाए होते हैं तो उनके अधान जलसी अनुमति लीना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीया,



(मीला पतेल)

उप महानिरीक्षक, यन (को)

- प्रतिलिपि सुमनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:**
1. अपर यन महानिरीक्षक (एफ०सी०), प्रावरण, यन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रिय प्रावरण भवन, जोरवारा रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
  2. प्रुख यन सरकार एवं नोडल अधिकारी, यन संस्कारण, इन्द्रिय नगर कारोस्ट कालानी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
  3. आदेश पत्रावली।

उप महानिरीक्षक, यन (को)

Mitali Patel  
E.E.M.P.WA  
D.R.

